

## / 18वीं वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी /

**इतिहासः—** वाहिनी में सहकारी साख संस्था का दिनांक 21.07.2015 से सहकारिता विभाग शिवपुरी से पंजीयन कराया जाकर संचालन किया गया, शाखा का पंजीयन क्रमांक 639 / 15 दिनांक 21.07.15 है। वाहिनी संस्था में वर्तमान में 681 सदस्य है। प्रति सदस्य 500/- अंशपूँजी रखी गई हैं एवं प्रति सदस्य प्रतिमाह 500/- अनिवार्य अमानत के रूप जमा कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। संस्था में वर्तमान में सदस्यता खाता के अलावा वाहिनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बचत हेतु बचत खाता, आवर्ती खाता, फिक्स डिपोजिट करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें अन्य बैंकों की अपेक्षा अधिक ब्याज दिया जा रहा हैं एवं लोन प्राप्त करने वाले सदस्यों से अन्य बैंकों की अपेक्षा लोन राशि पर कम ब्याज लिया जा रहा है। वाहिनी की संस्था में वाहिनी में पदस्थ अधिकर्ता के आश्रित परिवार के सदस्यों को खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। वाहिनी संस्था का अध्यक्ष पदेन कमाण्डेन्ट रहता है।

**ब्याज का निर्धारणः—** अमानत राशि खाता धारकों को 9 प्रतिशत की दर से ब्याज दिये जाने का एवं बचत खाता पर 4.5 प्रतिशत ब्याज दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। अमानत राशि पर ब्याज की गणना वार्षिक एवं बचत खाता राशि पर ब्याज की गणना छःमाही किये जाने का प्रावधान रखा गया है। अन्य खातों पर ब्याज दर का लेन देन निम्नानुसार है।

### फिक्स डिपोजिट-एफडीआर

क्रं0	अवधि	ब्याज दर	अन्य बैंकों की तुलना
01	06 माह से 24 माह तक	8 प्रतिशत	02 प्रतिशत अधिक
02	24 माह से 36 माह तक	8.5 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत अधिक
03	36 माह से अधिक	10 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत अधिक

### आवर्ती खाता(आर0डी0)

क्रं0	अवधि	ब्याज दर	अन्य बैंकों की तुलना
01	12 माह से 24 माह तक	8 प्रतिशत	02 प्रतिशत अधिक
02	24 माह से 36 माह तक	8.5 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत अधिक
03	36 माह से अधिक	10 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत अधिक

**नोटः—** समय से पूर्व क्लोज करने पर जिस समय का जो ब्याज निर्धारित है। वह भुगतान किया जावेगा।

लोन पर ब्याज दर — 11 प्रतिशत

माह 10/17 की स्थिति में वाहिनी की संस्था का टर्नओवर 2 करोड़ 17 लाख के करीब है जिसमें प्रतिमाह 14 लाख रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी हो रही है।

वाहिनी बैंक से लोन प्राप्त करने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ निम्न कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है।

01— स्वयं का कोर्ट से प्रमाणित शपथ पत्र एवं दो जमानतदारों का शपथ पत्र देना आवश्यक हैं जमानतदार संस्था का सदस्य होना आवश्यक है।

02— पत्नी का सहमति पत्र एवं कारण का प्रमाणीकरण देना आवश्यक है।

03— स्वयं की जीपीएफ/डीपीएफ/अंशदान कटोत्रा स्लिप एवं स्वयं अथवा दोनों जमानतदारों की वेतन स्लिप चालू माह की लगाना आवश्यक है।

लोन वरीयतानुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर निम्नानुसार वरीयता रखी गई है।

01— संस्था सदस्य के बच्चे देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु लोन आवेदकों को प्रथम वरीयता दी गई है।

02— संस्था सदस्य के स्वयं की शादी, बच्चों की शादी एवं आश्रित भाई बहिन की शादी, हेतु लोन आवेदकों को द्वितीय वरीयता दी गई है।

03— स्वयं अथवा परिवारजन की गम्भीर बीमारी के इलाज वाले लोन आवेदकों को तृतीय वरीयता दी गई है।

04— अन्य कारणों से जैसे मकान मरम्मत, मकान निर्माण, प्लाट क्रय आदि वाले लोन आवेदकों को चतुर्थ वरीयता दी गई।

इसके अलावा आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्था से 10 किश्तों की वापिसी पर 10 प्रतिशत ब्याज दर पर आकस्मिक ओवर ड्राफ्ट ओडी० के रूप में 50000/- रु० तक लोन सादा आवेदन पर कारण का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने पर दिया जा रहा है। एक्सीडैन्ट एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु तत्काल ओडी लोन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय  
18वीं वाहिनी पुलिस साख  
सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी

### विषय:- सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

#### महोदय,

मैं 18वीं वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ मुझे संस्था के उपनियम एवं अनुशासन स्वीकृत हैं मैं संस्था के .....अंश क्रय करना चाहता/चाहती हूँ। इस हेतु अमानत राशि.....अंश राशि रु0.....तथा प्रवेश शुल्क रु0.....आवेदन पत्र के साथ जमा कर रहा/रही हूँ। कृपया मुझे सदस्यता प्रदान करने तथा अंश आवंटित करने का कष्ट करें।

मेरा पूर्ण विवरण निम्नानुसार है।

01— नाम/पद.....	मोबाइल नं0.....
02— आयु .....	जन्म दिनांक.....
03— पिता नाम.....	
04— सदस्य वर्ग .....	सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडा वर्ग
05— पता.....	(पते का प्रमाणीकरण वोटर कार्ड/आधार कार्ड/)
06— व्यवसाय.....	07—व्यवसाय का पता.....
08— उत्तराधिकारी(नोमिनी) का नाम.....	जन्म दिनांक.....
09— साक्षी का नाम एवं पता.....	

#### भवदीय

(हस्ताक्षर आवेदक)

#### // घोषणा- पत्र //

प्रारूप “क” (नियम 26का उपनियम (1) देखिये

यह कि मैं

.....पुत्र.....निवासी ग्राम.....

.....तहसील.....जिला.....

एक से अधिक ऋण देने वाली संस्थाओं का सदस्य हूँ/बन गया हूँ जिनके नाम नीचे दिये गये हैं।

01—.....02—.....

03—.....04—.....

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाये नियम 1962 के नियम 26का उपनियम (1) के द्वारा उपेक्षित हैं कि मे। एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं केवल 18वीं वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी से ही उधार लूँगा।

गवाह 01—.....02—.....

#### हस्ताक्षर आवेदक

#### // कार्यालय के उपयोग हेतु //

श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पिता/ पति.....

सदस्यता प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक.....के प्रस्ताव क्रमांक.....  
में स्वीकृति दी जाती है।

स्थान.....दिनांक .....सदस्यता क्रमांक .....

प्रबंधक  
(सील संस्था)

## **कार्यालय 18वीं वाहिनी पुलिस सहकारी साख संस्था मर्यादित शिवपुरी म0प्र0**

### **//ऋण संबंधी नियम//**

18वीं वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी के संचालक मंडल को ऋण नियम बनाने का पूर्ण अधिकारी है जो समय पर नियमों में परिवर्तन कर सकेंगे । वर्तमान में निम्न नियम प्रचलित है ।

- 01— सोसायटी द्वारा केवल सदस्यों को ही ऋण दिया जावेगा ।
- 02— ऋण आवेदन को निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना होगा तथा सम्पूर्ण जानकारी सही भरना आवश्यक है ।
- 03— ऋण आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम 200/- रुपये से बचत खाता खोलना आवश्यक है ।
- 04— बचत खाते के माध्यम से ही भुगतान होगा ।
- 05— ऋण देना या न देना या आवेदित राशि से कम देने के का तथा दिये हुये जमानतदार अथवा बंधक सम्पत्ति योग्य है या नहीं है यह निश्चित करना उसके लिये आवश्यक जॉच करना संचालक मंडल के अधिकारी में है ।
- 06— प्रदत्त जानकारी विश्वनीय नहीं है ऐसा ज्ञात होने पर दिया गया ऋण तत्काल ब्याज सहित बसूल करने का अधिकारी संचालक मंडल को है ।
- 07— प्रस्तुत जमानतदार अथवा बंधक सम्पत्ति किन्हीं कारणों से अयोग्य अथवा अपर्याप्त होने पर ऋणी सदस्य को संचाचक मंडल द्वारा दिये गये निर्धारित समय के भीतर जमानतदार अथवा बंधक सम्पत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे ।
- 08— ऋणी सदस्य द्वारा समय पर ऋण जमा करने पर अथवा ऋण का उपयोग सही मद में नहीं किया गया है तो ऋणी के जमानतदार के ऋण खाते में डेबिट लिखा जावेगा व ऋण जैसा बसूल किया जावेगा जिसमें आवश्यकतानुसार दाबा लगाना कोर्ट खर्च, स्टाम्प व बकील फीस भी शामिल है ।
- 09— ऋणी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत जानकारी में कोई परिवर्तन होता है जो उसकी सूचना संबंधित को तत्काल संस्था में देना आवश्यक है ।
- 10— चूंकि संस्था केवल पुलिस विभाग के अधि0/कर्म0 के हितार्थ बनायी गई है इसलिये प्रत्येक ऋण आवेदन सदस्य के नियोक्ता अधिकारी अथवा आहरण अधिकारी द्वारा अग्रेषित होने पर ही ऋण आवेदन लिया जावेगा ।
- 11— ऋण आवेदक की स्वेच्छा पर ऋण की किश्तों को 12 माह 24, 36, 48, 60 माह की के अनुसार बसूल किया जावेगा । ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा अगर ऋण राशि एक मुश्त जमा कर सकता तो उसकी अवधि 12 माह से पूर्व जमा नहीं की जावेगी ।
- 12— जमानतदार जमानतनामे पर ही हस्ताक्षर करेंगे ।

**हस्ताक्षर ऋण आवेदक**

मेरे द्वारा उक्त शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षर किये ।

**अध्यक्ष**

**18वीं वाहिनी पुलिस साख  
सहकारी संस्था मर्यादित  
शिवपुरी म0प्र0**

फोटो

**ऋण आवेदन पत्र**  
**18वीं वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी**  
**18 वीं बटालियन, एस.ए.एफ., शिवपुरी (म.प्र.)**

1. ऋण आवेदन का नाम.....	दिनांक.....
पद / बैज नम्बर.....	सदस्यता क्रमांक.....
मैं पूरा नाम.....	पिता / पति.....
पता.....	
जन्म तारीख.....	उम्र..... वर्ष भर्ती तारीख.....
सेवा अवधि.....	सेवा की शेष अवधि..... सेवा निवृत्त तारीख.....
पता.....	

मध्यप्रदेश 18वीं वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी का सदस्य निवेदन करता हूं कि मैंने सोसायटी के ऋण संबंधी नियम पढ़े हैं एवं मुझे पढ़कर सुनाए। मुझे संस्था के सभी ऋण नियम मान्य एवं बंधनकारक हैं।

मुझे ..... कार्य के लिये रूपये ..... अक्षरी रूपये .....  
 के ऋण की आवश्यकता है। ऋण को ब्याज सहित अदायगी ऋण प्राप्ति के दिनांक से प्रतिमाह रूपये ..... अक्षरी रूपये ..... किस्तों से नियमित रूप से तथा शेष धन एक मुश्त जमा कर दूगा। ऋण के लिए निम्नानुसार जमानतदार / बन्धक प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया ऋण स्वीकृत करने की कृपा करें।

## 2. जमानतदार :-

1. पूरा नाम.....	पिता / पति श्री.....
पता.....	सदस्यता क्रमांक.....
2. पूरा नाम.....	पिता / पति श्री.....
पता.....	सदस्यता क्रमांक.....

## 3. चल / अचल सम्पत्ति विवरण :

1. मकान / प्लाट क्रं.....	मौहल्ला / पता.....	वर्तमान मूल्य.....
2. पता.....		

## 4. अधिकार पत्र :

श्रीमान सेनानी महोदय / पुलिस अधीक्षक महोदय  
 महोदय,

निवेदन है कि मैंने 18वीं वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी से रूपये ..... शब्दों में रूपये ..... ऋण लिया है। यह ऋण की राशि ..... मासिक किस्तों में मुझे ब्याज सहित चुकानी है। मैं आपको माह ..... से प्रतिशत मेरे वेतन से मूलधन के रूपये काटकर तथा अन्तिम किस्त की जो उक्त समिति तय करें काटकर समिति को प्रतिमाह भेजने हेतु अधिकृत करता हूं।

आपका विश्वास पात्र  
 हस्ताक्षर.....  
 नाम.....  
 पद एवं बैज नं.....

**म.प्र पुलिस कापरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, शिवपुरी**

18 वी बटालियन, एस.ए.एफ. शिवपुरी (म.प्र.)

**// जमानतदार की जानकारी //**

विवरण	जमानतदार क्र.1	जमानतदार क्र.2
1. जमानतदार का पद व नाम		
2. पिता का नाम		
3. पता		
4. सकल देय राशि		
5. सकल कटौत्रा राशि		
6. शुद्ध देय राशि		
7. क्या संस्था के सदस्य हैं ?		
8. सदस्यता क्रमांक		
9. व्यय किये गये अंश (शेयर)		
10. संस्था से ऋण लिया है ?		
11. ऋण कितने रूपये लिया है		
12. ऋण लेने का कारण		

हम दोनों के द्वारा उपरोक्त जानकारी सही भरी गई है। हम श्री.....  
.....को रूपये.....की जमानत देते हैं। ऋणी द्वारा नियमित ऋण  
जमा करने को हम दोनों बाध्य करेंगे। किन्हीं परिस्थितियों में ऋणी द्वारा जमा न होने पर  
पूरी राशि मय व्याज के हम दोनों जमानतदार अपने वेतन/डी.पी.एफ. चल या अचल  
सम्पत्ति से भरपाई करेंगे।

हस्ताक्षर जमानतदार क्र.1

.....

नाम जमानतदार.....

पद एवं बैज नं.....

पता.....

हस्ताक्षर जमानतदार क्र.2

.....

नाम जमानतदार.....

पद एवं बैज नं. ....

पता.....

.....

## संबंधित इकाई के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

(क) श्री..... जमावेदक इस इकाई में .....  
पद पर सदस्य हैं। इनकी सेवा संबंधी जानकारी (1) में सही भरी है।  
**मासिक प्राप्तियां** **मासिक कटोत्रा**  
01. मूलवेतन..... 01. भविष्य निधि/भविष्य की अग्रिम.....  
02. अन्स भत्ते..... 02. भवन ऋण/वाहन ऋण.....  
03. सकल देय राशि..... 03. अन्य कटोत्रा.....  
04. कुल कटोत्रा के बाद शुद्ध देय राशि..... 04. कुल कटोत्रा.....  
आवेदक के रूपये..... ऋण स्वीकृत करने की अनुशंसा  
की जाती हैं इनके द्वारा किस्त जमा न होने पर इनके वेतन से कटोत्रा कर 18वी वाहिनी  
पुलिस साख सहकारी संस्था को जमा कराया जायेगा।

कार्यालय मुहर  
अधिकारी

हस्तांतरण/संवितरण  
नाम.....

### कार्यालयीन टीप

श्री..... पद ..... प्रधान कार्यालय/शाखा.....  
पर समिति की ऋण राशि /ब्याज ..... शेष हैं। इनकी अंशराशि.....  
अमानत राशि..... समिति में जमा हैं। यह ..... कर्मचारी हैं इन्हें  
पात्रतानुसार रूपये..... ऋण स्वीकृत  
किया जाना उचित है।

प्रबंधक  
18वी वाहिनी पुलिस साख सह0 संस्था मर्यादा शिवपुरी

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक..... को उक्त आवेदन पत्र पर विचार  
किया जाकर रूपये..... (रूपये शब्दों में.....)  
का ऋण स्वीकृत किया गया है।

प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष  
18वी वाहिनी पुलिस साख सह0  
संस्था मर्यादा शिवपुरी

## //ऋण अनुबंध पत्र//

01— मैं  
पिता / पति ..... उम्र ..... वर्ष  
स्थाई पता.....

वर्तमान पता..... सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने 18वी वाहिनी  
पुलिस साख सह0 संस्था मर्या0 शिवपुरी से ..... हेतु रूपये  
(अंको में)..... (शब्दों में).....

ऋण लिया हैं यह राशि मैं नगद प्राप्त कर चुका हूं इस राशि को चुकाने हेतु वचनबद्ध हूं।  
02— ऋण की रकम माह ..... से किश्तों में प्रतिमाह मेरे वेतन से काटी जाकर संस्था को देने हेतु अनुबंध में सेनानी/पुलिस अधीक्षक ..... को दे रहा हूं। सेनानी/ पुलिस अधीक्षक को पूरा अधिकार देता हूं, कि मेरे वेतन से प्रतिमाह उक्त किश्त की रकम काटकर संस्था के नाम करायें।

03— पुलिस विभाग से सेवामुक्त होने त्यागपत्र देने या मुक्त होने के पूर्व समस्त ऋण ब्याज सहित एक मुश्त जमा कर दूंगा। जमा नहीं करने की अवस्था में समिति को अधिकार होगा कि यह सक्षम न्यायालय द्वारा मुझ पर बकाया समस्त ऋण की राशि ब्याज सहित मेरी चल एवं अचल संपत्ति से एक मुश्त वसूल कर लें।

04— यदि मैं उक्त ऋण की कोई किश्त या ब्याज की रकम निश्चित अवधि में न चुका पांउ तो समिति को अधिकार होगा कि वह उपनियम 37 के अनुसार अनाधिकृत चुकी हुई रकम पर साधारण ब्याज दर के अतिरिक्त दो नये पैसे प्रति रूपये प्रतिमाह दण्ड के ब्याज भी वसूल कर लें।

05— यदि उक्त ऋण की धनराशि में अंकित प्रयोजन हेतु खर्च न करूं तो समिति उपनियम 36 के अनुसार कुल ऋण तुरन्त वसूल कर लेंवे और ऐसे ऋण की रकम पर ऋण देने की दिनांक से साधारण ब्याज के अतिरिक्त दो नये पैसे प्रति रूपये प्रति माह दण्ड ब्याज भी वसूल कर लेंवे।

06— मैं उक्त ऋण के भुगतान होने तक न तो प्रतिभूति बदलूगां और न निरस्त करवाउंगा परन्तु मुझे यदि समिति सूचित करेगी कि मेरी प्रतिभूति किन्हीं कारणों से प्रतिभूति रहने के अयोग्य हो गया है अथवा मैं तारण में दी गई सम्पत्ति अपर्याप्त है तो सूचना दी हुई अवधि के भीतर दूसरा प्रतिभूति देने अथवा तारण बढ़ाने के लिये चयनबद्ध रहगां। और यदि मैं दिये गये समय के भीतर ऐसा करने में असमर्थ रहगां तो मुझे प्रतिभू एवं तारण पर दिया गया सब ऋण ब्याज सहित एक मुश्त तुरन्त वसूल कर सकेगी।

07— जब तक मैं उक्त ऋण मय ब्याज के भुगतान नहीं करूगां तब तक मैं अपनी जी.पी. एफ. अथवा डी.पी.एफ. में खाते में कम से कम ऋण राशि का 3/4 हिस्सा हर समय जमा रखूगां।

08— जब तक मैं उक्त ऋण मय ब्याज के जमा नहीं करूगां तब तक मेरे वेतन से प्रतिमाह रूपये 100/- अमानत राशि किश्त के अतिरिक्त जमा करूगा। ऐसा न करने पर मेरे उक्त ऋण की रकम मय ब्याज के वसूल करने का अधिकार समिति को होगा।

09— यदि मैं उक्त ऋण की लगातार दो किश्त जमा नहीं कर पाता हूं तो मेरे वेतन से पिछली किश्तों की रकम मय ब्याज के वसूल करने का अधिकार संस्था को होगा।

प्रति,

शाखा प्रबंधक

.....  
.....

IFS CODE.....

विषय:- मेरे एकाउण्ट से प्रतिमाह राशि भेजने हेतु प्राधिकार पत्र।

महोदय,

निवेदन हैं कि मैंने 18वी वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी से ऋण लिया था, जिसका भुगतान मैं अभी तक नहीं कर सका हूँ।

मैं वर्तमान में सेनानी 18वी वाहिनी विसबल शिवपुरी के अधीन पदस्थ हूँ। जिनके द्वारा मेरा वेतन प्रतिमाह आहरित करके आपकी शाखा में स्थित मेरे एकाउण्ट नं0.....  
.....में जमा किया जा रहा हैं

उपरोक्त ऋण का भुगतान हेतु इस प्राधिकार पत्र के माध्यम से आपको अधिकृत करता हूँ कि आपकी शाखा में स्थित मेरे एकाउण्ट नं0.....  
.....में से कृपया प्रतिमाह रूपये.....(अंकों में) अर्थात् रूपये .....  
.....(शब्दों में) को स्थानान्तरण 18वी वाहिनी पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी को भारतीय स्टेट बैंक झांसी तिराहा शिवपुरी म0प्र0 में स्थित एकाउण्ट नं0.....( IFS CODE एसबीआईएन 0003215) में प्रतिमाह नियमित रूप से भेजने का कष्ट करें ।

वर्तमान इकाई के  
डीडीओ के द्वारा सत्यापन  
हस्ताक्षर एवं सील

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पद नाम.....

## शपथ पत्र (स्वयं)

मैं ..... पुत्र श्री ..... पद .....इकाई  
18वीं वाहिनी विसबल शिवपुरी सदस्यता क्रमांक .....द्वारा 18वीं वाहिनी  
पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित 18वीं बटालियन शिवपुरी से रु0 .....  
शब्दों में..... का ऋण पारिवारिक कार्य हेतु लिया जा रहा  
है तथा मेरे द्वारा किसी अन्य बैंक अथवा सोसायटी से ऋण नहीं लिया गया है । मैं यह  
घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा लिये गये ऋण की किश्त प्रतिमाह संस्था में जमा करूंगा  
यदि मेरा स्थानांतरण अन्यंत्र किसी इकाई में होता है तो मैं लिये गये ऋण की समस्त  
मूलधन मय ब्याज के अपने डीपीएफ/जीपीएफ खाते से आहरण कर एकमुश्त जमा करने  
के बाद ही उक्त इकाई के लिये रवानगी लूंगा, यदि विशेष परिस्थितियों में अन्यत्र इकाई में  
पदस्थ हो जाता हूँ तो उस इकाई प्रमुख को मैं यह अधिकार देता हूँ कि उक्त ऋण की  
किश्त मेरे वेतन/डीपीएफ/जीपीएफ/सीपीएफ खाते से एकमुश्त अथवा प्रतिमाह किश्त के  
रूप में काटकर संस्था में जमा कर सकें । यदि मैं अपने पद से पदच्युत होता हूँ अथवा  
सेवानिवृत्त होता हूँ तो उक्त ऋण की सम्पूर्ण राशि अपने अंतिम भुगतान से वसूली के  
पश्चात् ही कोई राशि शेष रह जाती है तो मेरी अचल सम्पत्ति से पूर्ति की जाये । इसमें  
मुझे एवं मेरे वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

हस्ताक्षर  
ऋण प्राप्तकर्ता

## शपथ पत्र (जमानतदार)

मैं ..... पुत्र ..... आयु ..... वर्ष निवासी 18वी वाहिनी  
विसबल शिवपुरी म0प्र0 स्थाई निवास .....

मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ :—

01— यह कि मैं शपथकर्ता 18वी वाहिनी विसबल शिवपुरी म0प्र0 में ..... के  
पद पर कार्यरत हूँ ।

02— यह कि ..... पुत्र ..... द्वारा 18वी वाहिनी  
पुलिस साख सहकारी संस्था मर्यादित शिवपुरी से ..... कार्य हेतु रूपये .....  
..... का ऋण लिया जा रहा है जिसकी मैं जमानत देता हूँ।

03— यह कि ..... पुत्र ..... के द्वारा ऋण राशि  
जमा नहीं करने पर मैं उनको ऋण राशि जमा करने हेतु बाध्य करूँगा ।

04— यह कि ..... पुत्र .....  
ऋण राशि जमा नहीं कर पाते हैं तो सोसायटी को अधिकार होगा कि ऋण राशि मेरे  
वेतन/जीपीएफ/डीपीएफ से वसूल कर लेवें जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।  
उपरोक्त कथनों की पुष्टि में यह शपथ प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर  
शपथकर्ता

## // सहमति –पत्र //

मैं ..... पत्नी श्री.....

मेरे पति वर्तमान 18वीं वाहिनी विसबल शिवपुरी में ..... पदस्थ हैं मेरे  
पति वाहिनी में संचालित सहकारी साख संस्था से .....  
हेतु रूपये ..... शब्दों में रूपये .....  
का लोन लेना चाहते हैं जिसमें मैं अपनी पूर्णरूप से सहमति देती हूँ।

### हस्ताक्षर

श्रीमती.....  
पत्नी श्री.....  
.....

## कार्यालय सेनानी 18वीं वाहिनी विसबल, शिवपुरी (म0प्र0) // अंशदान कटोत्रा प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि प्रआर/आर/आरट्रे .....  
का इस इकाई द्वारा प्रतिमाह वेतन से अंशदान कटोत्रा रूपये .....  
. किया जा रहा है तथा इनके अंशदान खाते में माह ..... तक में  
जमा राशि ..... रूपये है।